कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
गु0नगर खण्ड गंगा नहर मुजफ्फरनगर

पत्रांकः– 950 /अनुमति / दिनांकः– 13-03-19

विषयः– "Consultancy Service for feasibility study and preparation of Detailed Project Report for improvement and up gradation of Newly declared National Highway in the states of Uttar Pradesh, Stretch from Laksha-Purkaji (on NH-334A).

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 66/D.P.R/dated 15-01-2019

अधिशासी अभियन्ता NH Division पी0 डब्लू0डी0 गाजियाबाद

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे। जिसमें आपके द्वारा लक्सर पुरकाजी मार्ग (NH-334A) पर पडने वाले इस खण्ड की नहरो पर पुल बनाने हेतु अनुमति चाही है। इस खण्ड के सहायक अभियन्ता–तृतीय एवं चतुर्थ की आख्यानुसार उक्त प्रकरण इस खण्ड में में पडने वाली निम्न नहरो से सम्बन्धित है।

क्र0सं0	नहर का नाम	चैनेज	बैड विडथ (मीटर में)	वाटर डैप्थ (मीटर में)	हैड डिस्चार्ज (क्यूसेक में)
1	2	3	4	5	6
1	रा0 पुरकलॉ	2.600	1.83	0.60	16
2	रा0 मेन बसेडा	4.800	5.40	1.00	175
3	ऊपरी गंगा नहर	53.880	61.15	3.66	10500
4	रा0 लैफ्टमेन	20.651	4.57	0.73	116.30

उपरोक्त नहरो पर पुल बनाने हेतु अनुमति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धो के साथ इस कथन से प्रेषित की जाती है कि यदि उच्चाधिकारियो द्वारा उक्त अनुमति पर कोई आपत्ति लगाई जाती है तो अनुमति निरस्त समझी जायेगी।

1. कार्य अनुमोदित ड्राईग के अनुसार ही कराया जायेगा, जिसमें विभागीय विशिष्टियो एवं नहर सुरक्षा का ध्यान रखा जायेगा।
2. ड्राईग सिंचाई विभाग के मानको एवं विशिष्टियो को पूर्ण करने वाला ही मान्य होगा तथा सम दर (Span) वाले पुल नही बनाये जायेंगे।
3. कार्य कराते समय नहर एवं नहरी संरचनाओ को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचनी चाहिए। यदि कोई क्षति पहुँचती है या इस कारण से जान–माल का नुकसान होता है तो समस्त क्षतिपूर्ति कार्यदायी संस्था द्वारा देय होगी।
4. कार्य की चैकिंग विभाग द्वारा कभी भी किसी भी समय की जा सकती है। कोई गुणवत्ता सम्बन्धी या नियमो के अनुपालन में कमी मिलने पर कार्यदायी संस्था को इस कार्यालय के सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। अनुपालना न होने पर अनुमति निरस्त की जा सकती है।
5. कार्य कराते समय नहर के अन्दर से कोई मिटटी नही उठाई जायेगी।
6. कार्य कराते समय नहर के अन्दर कोई मिटटी एवं मलबा आदि न डाला जाये और न ही कार्य उपरान्त छोडा जाये।
7. आवश्यकता पडने पर विभाग बिना कारण बताये अनुमति निरस्त कर सकता हैं।
8. कार्य पूर्ण उपरान्त किये गये कार्य पर स्वामित्व विभाग का होगा, कार्यदायी संस्था द्वारा किसी भी तरह का स्वामित्व का दावा नही किया जायेगा और न ही मान्य होगा।

559 Drawing S

Executive Engineer
GAGAN
Executive Engineer
N.H.P.W.D.
Ghaziabad

NH Division,PWD Ghaziabad
Uttar Pradesh
Signature & Seal

GAGAN
Executive Engineer
N.H.P.W.D.
Ghaziabad

9. बनायी गयी संरचना का भविष्य में मरम्मत कार्य कार्यदायी संस्था को करना होगा न करने की स्थिति में विभाग को धन उपलब्ध कराना होगा।
10. पुल का निर्माण मार्ग पर प्रचलित वाहन लोडिंग के अनुसार ही कराया जायेगा, वाहनो को नियन्त्रित करने हेतु आवश्यक Height Guard भी कार्यदायी संस्था द्वारा ही लगाया जायेगा।
11. आवश्यक Height Guard न लगाने की स्थिति में यदि किसी वाहन के कारण पुल को क्षति होती है या दुर्घटना होती है तो पुल मरम्मत एवं दुर्घटना के कारण क्षति एवं मुआवजा की पूर्ति कार्यदायी संस्था को ही करनी होगी।
12. पुल के नीचे की सफाई एवं कूडा–करकट की सफाई भी समय–समय पर कार्यदायी संस्था को ही करना होगा। यदि कूडा–करकट फसने के कारण नहर में पानी का स्तर बढने से नहर टूटती है तो इस कारण से हुई नहरी क्षति एवं जन/कृषको की क्षति की पूर्ति भी कार्यदायी संस्था को करनी होगी।
13. अनुमति जनहित एवं नहरी हित में दी जायेगी। नहरी हित में आवश्यकता पडने पर कभी भी इसे समाप्त किया जा सकता है, एवं ऐसी स्थिति में इस कार्य पर हुए व्यय धनराशि की कोई जिम्मेदारी विभाग की नही होगी। बल्कि जिम्मेदारी इस कार्य हेतु धन उपलब्ध कराने/व्यय कराने वाले विभाग की होगी।
14. यह पुल किसी भी सार्वजनिक मार्ग का अंश नही माना जायेगा तथा आई0पी0सी0 की धारा–133 के अधीन नही आयेगा। इस पर स्वामित्व भी विभाग का होगा एवं इसके निर्माण पर हुए व्यय के प्रयोजनहीन हो जाने की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की नही होगी। समस्त उत्तरदायित्व निर्माण पर धन व्यय करने वाले विभाग का होगा।
15. पुल का डिजाईन इस प्रकार रखा जाये कि इस खण्ड द्वारा जब भी कभी नहर की सफाई की जाये तो सफाई में प्रयोग होने वाली जे0सी0बी0 आदि मशीन ठीक प्रकार घूम सके।
16. उपरोक्त में से किसी भी शर्त का अनुपालन न होने पर यह अनापत्ति पत्र स्वयं ही निरस्त हो जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
मु0नगर खण्ड गंगा नहर
मुजफ्फरनगर

पत्रांकः– /अनुमति / दिनांकः–

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता–तृतीय एवं चतुर्थ, मु0नगर खण्ड गंगा नहर, मु0नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त कार्य अपनी देखरेख में कराना सुनिश्चित करे।

अधिशासी अभियन्ता
मु0नगर खण्ड गंगा नहर
मुजफ्फरनगर

Executive Engineer
GAGAN
Executive Engineer
N.H.P.W.D.
Ghaziabad

NH Division, PWD Ghaziabad
Uttar Pradesh
Signature & Seal

GAGAN
Executive Engineer
N.H.P.W.D.
Ghaziabad

560 Drawing Section-13